

बिहार सरकार  
वित्त विभाग  
संकल्प

पटना, दिनांक:-०४/०५/२०१८

**विषय:-** पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक ०१/०१/२०१८ के प्रभाव से ५ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-८३९२, दिनांक-२५/१०/२०१७ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक-०१/०७/२०१७ के प्रभाव से ५ प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

२. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- १/१/२०१८-६-II(B) दिनांक-१५/०३/२०१८ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक ०१/०१/२०१८ के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ७ प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

३. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

४. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक-०१/०१/२०१८ के प्रभाव से ५ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेशन के आधार पर परिणित कर किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में ५० पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णाकित कर दिया जायगा तथा ५० पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
- (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेशनधारियों के पेशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय,

पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

5. पेशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेशनरों सहित उन पेशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेशन, वार्धक्य पेशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेशन प्राप्त है। औपबंधिक पेशन/पारिवारिक पेशन एवं असाधारण पेशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेशन प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/01/2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 3250/वि० पटना, दिनांक:-04/05/2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 3250/वि० पटना, दिनांक:-04/05/2018

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-२-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- ३२५०/वि०

पटना, दिनांक:-०४/०५/२०१८

प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एक्जीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०को० बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-३ए-२-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- ३२५०/वि०

पटना, दिनांक:-०४/०५/२०१८

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह०/-


(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-३ए-२-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- ३२५०/वि०

पटना, दिनांक:-०४/०५/२०१८

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।